


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय आदेश


प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप डी-11) पे-बेण्ड 15600-39100 पी बी-3 ग्रेड पे 6600 में वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक (मुख्य एवं रिज्यू) की कार्यवाही में की गई अनुशंसाओं के आधार पर, कार्मिकों का चयन किये जाने पर इस कार्यालय के पदोन्नति पर पदस्थापन सम्बन्धी आदेश क्रमोंक:- शिविरा-मा/संस्था/ बी-2/45002/ डीपीसी/ 18-19/पदस्थापन/द्वितीय/2018 दिनांक: 16 जुलाई, 2018 द्वारा, 302 प्रधानाचार्यों के, पदस्थापन-आदेश जारी किये गये थे ।

उक्त आदेश के पैरा संख्या तीन में उल्लेखित पंक्ति "उक्त आदेश दिनांक 01.10.2017 से प्रभावी होंगे" को एतद् द्वारा विलोपित किया जाकर, पदोन्नति पर कार्यग्रहण तिथि दिनांक 23.07.2017 के स्थान पर 23.07.2018 पढ़े जाने का आंशिक संशोधन एतद् द्वारा जारी किया जाता है । शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगीं ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमोंक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-2/45002/डीपीसी/ 18-19/पदस्थापन/द्वितीय/2018 दिनांक:- 17 जुलाई, 2018
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-शिक्षा, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
04. उप निदेशक (प्रारम्भिक/माध्यमिक) समस्त मण्डल ।
05. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारम्भिक) समस्त ।
06. संबंधित संस्था प्रधान ।
07. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दपर्ण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेंगे ।
08. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी-3
09. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर